न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र संख्या 67 / 2020 GCMS NO. 2020/00495 **उनवानी सुदेवकुमार आदि बनाम विनोद कुमार आदि** **अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955**	
08.11.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता प्रार्थीगण को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थीगण हाजिर आये। अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की तामील करवाये जाने हेतु बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दायरी से लेकर आज तक अप्रार्थीगण की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालनां बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.) (बन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yog
Date: 2024.12.09 17:09:57 IST
Reason: SelfAttested